न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–284 / 2026

(परिवाद वाद संख्या 174सी / 2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

विजय यादव

बनाम

राज्य सरकार

आदेश

11.05.2026 1– प्रस्तुत जमानत आवेदन **विजय यादव** पिता भुना यादव, उम्र 27 वर्ष, साकिन बेलाकुरा(कुरवा), थाना चरकापत्थर, जिला जमुई के द्वारा धारा 147, 148, 323, 498ए, 307, 504, 506 भा0द0वि तथा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री जैनुल आब्दीन तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया। आवेदक दिनांक 06.04.2025 से कारा में संसीमित है।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि फिदवी की शादी हिन्दु रीति–रिवाज के अनुसार आवेदक विजय यादव, पिता भुना यादव, साकिन बेलाकुरा, थाना चरकापत्थर, जिला जमुई के साथ शादी संपन्न हुआ। शादी के बाद फिदवी को विदाई के समय फिदवी के पिता औकात के अनुसार दानस्वरूप 1,00000 / रू0 (एक लाख रूपया) नगद, सोना का जेवर 02 भर का, चांदी का जेवर 10 भर का एवं अन्य सामान कुल 50,000(पचास हजार रूपए) का देकर विदा किये। फिदवी ससुराल में रहने लगी। रहने के क्रम में फिदवी को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम वालवीर, उम्र 04 वर्ष है। शादी के बाद सभी मुदालय नाना प्रकार से फिदवी को तंग–तबाह एवं प्रताड़ित करते थे और कहने लगे कि शादी के समय तुम्हारे पिता दहेज स्वरूप बहुत कम रूपये दिये हैं इसलिए अपने पिता माता भाई को कहो कि एक लाख रूपया नगद एवं एक मोटरसाईकिल मांग कर लाओ, तब तुमको ठीक से रखेंगे। क्योंकि तुम देखने में भी ठीक नहीं हो। फिदवी को सभी मुदालागण खाना, कपड़ा, दवा, दारू नहीं करते एवं मारपीट, गाली–गलौज करते रहते थे। फिदवी फिर भी मारपीट सहकर रह रही थी। फिदवी को जब सभी मुदालागण कहते कि यहां से चली जाओ नहीं तो इसका बुरा अंजाम होगा। फिदवी के भैंसुर उमेश यादव, फिदवी जहा सोती थी खाट के नीचे बिजली लाईन लगा कर जान से मारना चाहता था। फिदवी जब देखी तो हल्ला करने लगी कि यहां पर लाईन कौन लगा दिया। फिदवी समझ गई तब फिदवी लाचार एवं विवश होकर अपने माता–पिता को फोन से बुलाया और घटना के बारे में बतायी। फिदवी के माता–पिता सभी मुदालयगण को समझाये, बुझाये, पंचायत भी हुआ, लेकिन मुदालयगण पंचायत नहीं माने और कहने लगे कि जब तक एक लाख रूपया नगद एवं मोटरसाईकिल दहेज के रूप में नहीं देगें तब तक आपकी बेटी को नहीं रखेंगे। फिदवी के माता–पिता बोले कि मैं एक गरीब आदमी हूं, अब नहीं दे पायेंगे और समझा–बुझाकर अपने घर चले आये। उसके बाद दिनांक 05.02.23 को दिन रविवार समय 10 बजे दिन में सभी मुदालय एकमत होकर नाजायज मजमा बना कर मुदा0 नं0 02 फिदवी के शरीर पर किरासन तेल छिड़क दिया और फिदवी की गोतनी गीता देवी माचिस की तिल्ली जला कर शरीर पर फेंक दिया। फिदवी के पति एवं अन्य मुदालयगण जान से मारने में सहयोग किया। फिदवी जोर–जोर से हल्ला करने लगी तो गांव के अगल बगल के लोग हल्ला पर दौड़े तो फिदवी की जान बची। उसके बाद फिदवी को उसी दिन घर से बेरहमी से मारपीट कर भगा दिया। तब फिदवी रोती–बिलखती अपने मायके आयी।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन है आवेदक दिनांक 06.04.2026 से कारा में

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–284/2026

(परिवाद वाद संख्या 174सी/2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

विजय यादव

बनाम

राज्य सरकार

11.05.2026
लगातार

संसीमित है। यह कि आवेदक को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1368/25 दिनांक 30.10.2025 के आदेश से माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन व वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर माननीय न्यायालय या माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। यह कि परिवाद वाद में 35(3) बी0एन0एस0एस लागू नहीं होता है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। आवेदक ने न तो सूचिका के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता किया है और न ही दहेज की कोई मांग की है। आवेदक का तर्क है कि सूचिका के व्यवहार के कारण वैवाहिक जीवन प्रभावित हुआ है और वह बिना किसी उचित कारण के अपने मायके में रहती थी। आवेदक द्वारा कई बार उसे लाने का प्रयास किया गया परंतु सूचिका अपने वैवाहिक घर में रहने में विफल रही है। यह कि सूचिका द्वारा न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया कि वह अपने पति के साथ रह रही थी और वह वर्तमान में गर्भवती है। यह कि अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1368/25 के आदेश के अनुसार वह अपने ससुराल चली गई परन्तु उसने न्यायालय द्वारा उल्लिखित शर्तों के अनुसार जमानतदार नही बनी तथा आवेदक दिनांक 06.04.2026 से कारा में संसीमित है। इसके अतिरिक्त आवेदक ने पुनः एक आवेदन दाखिल किया कि सूचिका पहले भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया था। उक्त आवेदन को इस माननीय न्यायालय में समय विस्तार हेतु दिया गया । यह विविध वाद संख्या 07/26 जिसमें विद्वान न्यायालय ने सूचिका को नोटिस जारी किया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई व इसी बीच सूचिका ने पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार करवा दिया जिससे अग्रिम जमानत के आदेश का कोई प्रभाव नहीं रह गया है क्योंकि आवेदक द्वारा विशेषाधिकार का लाभ नहीं उठाया गया है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 147, 148, 323, 498ए, 307, 504, 506 भा0द0वि तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त है। यह स्वीकृत तथ्य है कि सूचिका आवेदक की पत्नी है। यह कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1368/25 दाखिल किया गया था जो जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2025 को निष्पादित किया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक का जमानत आवेदन दिनांक 18.04.2026 को अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा खारिज किया जा चुका है। परिवार न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध मिसलेनियस केस नंबर 35/25 में डिस्ट्रेस वारंट निर्गत किया गया था जिसके आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर कारा में रिमांड किया गया है। आवेदिका ने विचारण न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया जिसमें उसने लिखा है कि वह अपने ससुराल में अपने पति के साथ रह रही है और वर्तमान में वह गर्भवती है। वह अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1368/25 में दिये गये आदेश के आलोक में अपने ससुराल गई थी परंतु वह उक्त अग्रिम

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–284 / 2026

(परिवाद वाद संख्या 174सी / 2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

विजय यादव

बनाम

राज्य सरकार

11.05.2026
लगातार

जमानत में न्यायालय की शर्तों के अनुसार आवेदक अभियुक्त का जमानतदार नहीं बनी। आवेदक दिनांक 06.04.2026 से कारा में संसीमित है। सूचिका ने पहले ही न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन किया है। आवेदक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन में न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की समय अवधि बढ़ाने हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में मिसलेनियस केस नंबर 07 / 2026 दाखिल किया था जिसमें विद्वान न्यायालय द्वारा परिवादिनी की उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत किया गया था परंतु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। इसी बीच सूचिका पुलिस को बुलाकर आवेदक को जेल भेजवा दिया। इस तरह अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1368 / 25 का आदेश प्रभावहीन हो गया है। आवेदक कारा में संसीमित है तथा इस वाद में सजा की अवधि अधिकतम तीन साल है। आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

सूचिका के तरफ से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ भरण पोषण वाद संख्या 24एम0 / 2023 में परिवार न्यायालय जमुई द्वारा 27.03.2025 को पारित निर्णय की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसकी प्रति आवेदक के अधिवक्ता को भेज दी गई है और सूचिका के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करते हैं। जबकि न्यायालय द्वारा आवेदक को यह आदेश दिया गया है कि वह 5,000 / –रू0 प्रतिमाह बिन्दु देवी तथा 2,000 / –रू0 प्रत्येक माह अपने अवयस्क पुत्र बालबीर कुमार को खर्च अदा करेंगे और 5,000 / –रू0 भी आवेदक को सूचिका को देने का आदेश दिया गया है। न्यायालय द्वारा आवेदक को यह भी आदेश दिया गया है कि बकाया भरण–पोषण की राशि छः महीने में आदेश की तिथि से बराबर किस्तों में मासिक रूप मनीऑर्डर अथवा आवेदक संख्या 01 के बैंक अकॉउन्ट में प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक जमा कर दे। परंतु आवेदक द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया है और आवेदक द्वारा यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है और उसी कारण आवेदक डिस्ट्रेस वारंट के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उपरोक्त विवेचन तथा इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निम्न शर्तों के साथ आवेदक को जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित संबंधित न्यायालय में न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें–:

1. आवेदक परिवार न्यायालय द्वारा भरण–पोषण वाद संख्या 24एम / 2023 में दिनांक 27.03.25 को पारित निर्णय का पालन यथाशीघ्र करेगा।

2. इस आदेश की तिथि से आवेदक आवेदिका के खाते में कम–से–कम 2,000 / –रू0 प्रतिमाह जमा करेगा जिससे उसके अवयस्क पुत्र बालवीर कुमार की पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे।

3. आवेदिका एवं उसके बेटे का खाना खर्चा दवा तथा उसके अन्य आवश्यक खर्च एवं

लगातार.....

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

<u>जमानत आवेदन संख्या–284 / 2026</u>

(परिवाद वाद संख्या 174सी / 2023 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

विजय यादव

बनाम

राज्य सरकार

11.05.2026 देखभाल का पूर्ण दायित्व आवेदक पर है।

4. आवेदक भौतिक अथवा मानसिक रूप से किसी भी रूप में आवेदिका को प्रताड़ित या तंग तबाह नहीं करेगा और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा।

5. जमानतदारों के नाम से स्थायी संपत्ति तथा संपत्ति का कागजात होना आवश्यक है।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्तों का उल्लंघन करने पर विचारण न्यायालय आवेदक का बंधपत्र खंडित कर सकेगा।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई

मेमो सं0..... दिनांक–.....

प्रति अग्रसारित–न्यायालय, एस0डी0जे0एम0, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई